

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302005
(दूरभाष नं०:- 0141-2740837,, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल:- jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-एफ.4(ई)/(एल-960/2013)/अलेसे-III/1166

दिनांक :- 22/05/22

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कार्मिक की आदेशों की प्रतिका अवधि को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7(8)(बी)(III) के अन्तर्गत नियमित करते हुए कॉलम 5 में अंकित कार्यालय से वेतन आहरण की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्रं. सं.	लिंक नं.	नाम/पदनाम	आदेशों की प्रतिका अवधि	विभाग/कार्यालय जहाँ से वेतन भुगतान किया जाना है:-
1	2	3	4	5
1	10957	श्री लोकेश कुमार, क.ले.	दि. 16.06.2022 से दि. 22.06.2022	पंचायत समिति खण्डेला, सीकर। AA-11 के रिक्त पद के विन्द


(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-एफ.4(ई)/(एल-960/2013)/अलेसे-III/1166

दिनांक :- 22/05/22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विकास अधिकारी, पंचायत समिति खण्डेला, सीकर को प्रेषित कर लेख है कि कार्मिक को कॉलम 4 में अंकित आदेशों की प्रतिका अवधि के वेतन भुगतान की व्यवस्था करवाते हुए सेवा पुस्तिका में इन्द्राज करावाने की व्यवस्था करावें।
- निजी सचिव, निदेशक।
- उप निदेशक, (एसीपी) कम्प्यूटर पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
- श्री लोकेश कुमार, क0ले0 कार्यालय पंचायत समिति खण्डेला, सीकर।
- पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/गोपनीय शाखा।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)